राजस्थान सरकार
उद्योग (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(2)उद्योग / (ग्रुप–2) / 2011 जयपुर, दिनांकः 22 JUN 2020

–: अधिसूचनाः–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 15.02.2011 के द्वारा राजस्थान उद्योग निवेश संवर्धन नीति–2010 के बिंदु संख्या 7.3.11.1 के प्रावधानानुसार **"अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलो / प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु चुकाये गये ग्राउन्ड रेंट पर पुनर्भरण योजना"** लागू की गयी एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 21.09.2011 के द्वारा योजना की गाइडलाइंस जारी की गई थी। उक्त योजना की अवधि दिनांक 31.03.2017 तक थी, इसे दिनांक 06.03.2018 को जारी अधिसूचना के दवारा 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था। पुनः इस योजना की निरंतरता को **31 मार्च 2022** तक बढ़ाया जाता है।

योजना 31 मार्च 2022 तक प्रभावी होगी। यह अधिसूचना राजस्थान उद्योग निवेश संवर्धन नीति–2010 के बिंदु संख्या 7.3.11.1 की निरन्तरता में जारी की जाती है।

यह स्वीकृति वित्त विभाग की आईडी संख्या 102001504 दिनांक 20.03.2020 पर प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शुभम चौधरी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार निवेदन है कि इस विभाग के पत्र क्रमांकः प.14(4)उद्योग / ग्रुप–2 / 2008 दिनांक 08.12.2011 के अनुसार इसकी प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर को उनके कार्यालय के E-mail (agaeca2@gmail.com) पते पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. संयुक्त शासन सचिव वित्त, (व्यय–2) विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, सचिवालय कोष, जयपुर।
10. जिला उद्योग केंद्र, (समस्त), उपकेंद्र (समस्त)।
11. उद्योग (पीपीसी) विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Scanned by CamScanner